

# दो मुंह की बावड़ी का होगा जीर्णोद्धार

निगम आयुक्त श्री झारिया ने किया बावड़ी का निरीक्षण

रतलाम 11 फरवरी । दो मुंह की बावड़ी का निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निरीक्षण कर बावड़ो की सफाई का कार्य प्रारंभ करने, बावड़ी में कचरा ना डले इसके उचित इंतजाम करने के साथ बावड़ी के जीर्णोद्धार के निर्देश संबंधित को दिये ।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बावड़ो के निरीक्षण के दौरान सफाई के साथ बावड़ी के दोनों प्रवेश द्वार पर गेट लगाने व रात्री 8 से प्रातः 8 बजे तक गेट बंद रखने के निर्देश दिये ताकि असामाजिक तत्व प्रवेश ना कर सके । बावड़ी में नागरिक कचरा ना डालें इस हेतु एक साईंड की दीवार जो कम उंचाई की है उस पर 4 फीट की जाली लगाने व तीन स्थानों पर डस्टबीन लगाये जाने के निर्देश दिये । इसके अलावा उन्होंने बावड़ी के जीर्णोद्धार के निर्देश संबंधित को दिये ।

निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से आव्हान किया कि शहर के प्राचीन जल स्त्रोतों को सहेजने में अपनी भूमिका अदा करें । बावड़ियों में कचरा डालकर उसे गंदा ना करें ये हमारी प्राचीन धरोहर है ।

इस अवसर पर स्वच्छता बांड एम्बेसेडर अंजू सूर्यवंशी, श्री नवोदित बैरागी, उपर्यंत्री श्री मनीष तिवारी आदि उपस्थित थे ।

## नवीन स्पॉट फाईन टीम का गठन

रतलाम 11 फरवरी । घरों, दुकानों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को निगम के कचरा संग्रहण वाहन में डालते हुए खुले डालने वाले नागरिकों पर जुर्माना किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नवीन स्पॉट फाईन टीम का गठन करते हुए सर्वश्री कुलदीप भट्ट, अंकित पुरोहित, विजय मेहना, मनीष झांझोट व राजकुमार माली को नियुक्त किया ।

### कचरा संग्रहण वाहन के 5 चालक व 1 क्लीनर का 7 दिवस का वेतन काटा

रतलाम 11 फरवरी । कचरा संग्रहण वाहन के 4 चालकों द्वारा 11 फरवरी को बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने से प्रभावित हुए घर—घर से कचरा संग्रहण कार्य के कारण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार वाहन चालक मनीष डागर, धीरज माली, जितेन्द्र तोमर व राजेश वर्मा का 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया ।

इसके अलावा स्थायीकर्मी क्लीनर विजय सोनगरा द्वारा लगातार कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहने व वार्ड क्रमांक 8 के कचरा संग्रहण वाहन चालक द्वारा वाहन में स्वच्छता गीत नहीं चलाये जाने पर 7 दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त किये जाने का कारण बताओ सूचना—पत्र जारी किया गया ।

## **श्याम उंटवाल वाहन चालक को कारण बताओ सूचना पत्र जारी**

रतलाम 11 फरवरी । कचरा संग्रहण वाहन के दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक श्याम उंटवाल द्वारा नगर निगम के व्हाट्स एप ग्रुप में वेतन काटने की भ्रामक जानकारी फैलाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार संबंधित को कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया ।

कचरा संग्रहण वाहन के दैनिक वेतन भोगी वाहन चालक श्याम उंटवाल द्वारा नगर निगम के व्हाट्स एप ग्रुप में वेतन काटने की भ्रामक जानकारी फैलाई गई जबकि माह जनवरी में 25, 26, 27 व 29 को अवकाश पर रहने व 1 दिवस का ब्रेक होने से 5 दिवस का कम वेतन भुगतान किया गया ।

### **75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक प्रतिबंधित**

रतलाम 11 फरवरी । रतलाम नगर को स्वच्छ व सुन्दर बनाये जाने हेतु नगरीय क्षेत्र रतलाम में 75 माईक्रॉन से कम मोटाई वाली पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग को कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है ।

रतलाम नगर के समस्त प्लास्टीक (पॉलीथीन) निर्माता, भण्डारकर्ता, विक्रेता, दुकानदार एवं उपयोगकर्ता 75 माईक्रॉन से कम मोटाई की पॉलीथीन व सिंगल यूज प्लास्टिक का ना तो उत्पादन करें एवं ना ही भण्डारण, विक्रय तथा उपयोग करें । उपरोक्त का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित के विरुद्ध नियमानुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी ।

नगर के नागरिकों से अनुरोध है कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग ना करें एवं इनके स्थान पर कपड़े एवं कागज से निर्मित थैलियों का उपयोग कर नगर को स्वच्छ, सुन्दर बनाने तथा पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपना सहयोग प्रदान करें ।

### **नगर निगम के विभिन्न करों से 9.98 लाख हुआ राजस्व प्राप्त औसवाल नगर व मोती नगर क्षेत्र से 9 अवैध नल कनेक्शन विच्छेद**

रतलाम 11 फरवरी । संपत्तिकर, जलकर, लायसेंस, राजस्व, विकास शाखा, बिल्डिंग परमिशन के तहत नागरिकों द्वारा जमा कराये गये करों के तहत 11 फरवरी शुक्रवार को कुल राशि रूपये 9,98,033/- का राजस्व प्राप्त हुआ ।

नगर निगम के विभिन्न करों के तहत 11 फरवरी शुक्रवार को संपत्तिकर शिविर से 137927, कार्यालय 204619, वसूली दल 281105 कुल 623651, जलकर शिविर 19570, कार्यालय 10140, वसूली दल 88340 कुल 118050, दकान गुमटी किराया कार्यालय 17961 व वसूली दल 50215 कुल 68176, लीजरेंट 125942, कम्पाउडिंग 50214, स्पॉट फाईन 12000 इस तरह कुल राशि रूपये 9,98,033/- का राजस्व निगम को प्राप्त हुआ ।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के जलप्रदाय अमले द्वारा औसवाल नगर व मोती नगर क्षेत्र में 9 अवैध नल संयोजनों को विच्छेद किया गया ।

# **पैलेस रोड तिराहे पर आज लगेगा निगम का बकाया वसूली शिविर**

**नगर निगम द्वारा वार्ड वार बकाया वसूली शिविरों का आयोजन**

नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए संपत्तिकर 71.97 लाख व जलकर 16.87 लाख की बकाया राशि जमा कराई

**रतलाम 11 फरवरी ।** नागरिकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए निगम से संबंधीत करों को जमा कराने हेतु वार्ड वार बकाया वसूली शिविर आयोजित किये गये हैं जो 03 मार्च 2022 तक चलेंगे।

आयोजित शिविरों में नागरिक नगर निगम की बकाया संपत्तिकरण, जलकर, दुकान, गुमटी किराया, लायसेंस शुल्क एवं विकास शाखा से संबंधित भवन की किष्ट तथा भू-भाटक की बकाया राशि जमा करा सकेंगे।

निगम द्वारा आयोजित शिविरों में नागरिकों ने उत्साह दिखाते हुए गांधीनगर शिविर में संपत्तिकर 3,28,822/- व जलकर 54,850/-, मालवा नगर लक्ष्मणपुरा शिविर में संपत्तिकर 1,62,575/- व जलकर 34,520/-, जवाहर नगर अम्बे माता मंदिर के पास शिविर में संपत्तिकर 3,02,013/- व जलकर 63,450/-, विनोबा नगर शिविर में संपत्तिकर 1,85,292/- व जलकर 1,19,720/-, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल शिविर में संपत्तिकर 3,20,857/- व जलकर 62,950/-, तिरुपति नगर शिविर में संपत्तिकर 1,28,977/- व जलकर 28,870/-, कोमल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,16,000/- व जलकर 14,000/-, इन्द्रलोक नगर मार्निंग स्टार स्कूल के पास शिविर में संपत्तिकर 2,51,600/- व जलकर 1,04,640/-, कस्तुरबा नगर शिविर में संपत्तिकर 8,61,206/- व जलकर 1,21,090/-, प्रियदर्शनी नगर शिविर में संपत्तिकर 2,14,000/- व जलकर 47,000/-, डोंगरे नगर शिविर में संपत्तिकर 2,54,422/- व जलकर 83,700/-, हाट रोड शिविर में संपत्तिकर 1,71,500/- व जलकर 27,540/-, कलीमी कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,96,281/- व जलकर 40,240/-, राजेन्द्र नगर शिविर में संपत्तिकर 1,45,000/- व जलकर 31,760/-, काटजू नगर शिविर में संपत्तिकर 3,36,077/- व जलकर 72,440/-, वेदव्यास कालोनी शिविर में संपत्तिकर 98,534/- व जलकर 37,465/-, कल्याण नगर शिविर में संपत्तिकर 87,732/- व जलकर 36,660/-, दीनदयाल नगर शिविर में संपत्तिकर 2,91,455/- व जलकर 92,125/-, बोहरा बाखल शिविर में संपत्तिकर 4,97,298/- व जलकर 64,770/-, रामगढ़ शिविर में संपत्तिकर 1,59,241/- व जलकर 28,140/-, लकड़पीठा शिविर में संपत्तिकर 6,11,920/- व जलकर 1,56,600/-, धानमण्डी शिविर में संपत्तिकर 3,60,338/- व जलकर 1,67,280/-, किरण टॉकिंज शिविर में संपत्तिकर 3,89,541/- व जलकर 76,625/-, आनन्द कालोनी शिविर में संपत्तिकर 1,20,807/- व जलकर 37,520/-, प्रताप नगर शिविर में संपत्तिकर 1,91,836/- व जलकर 72,860/-, महावीर नगर शिविर में संपत्तिकर 87,741/- व जलकर 37,140/- पैलेस रोड शिविर में संपत्तिकर 1,37,927/- व जलकर 19,570/- की राशि जमा कराई।

वार्ड वार आयोजित किये गये वसूली शिविरों के वार्ड क्रमांक 39, 40 व 41 के लिये 11 से 12 फरवरी तक पैलेस रोड तिराहा, वार्ड क्रमांक 25, 26 व 27 के लिये 14 फरवरी को चौगानिया भेरू, वार्ड क्रमांक 24, 25 व 42 के लिये 15 व 16 फरवरी को शिक्षा विभाग सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 43 व 45 के लिये 17 व 19 फरवरी तक चौमुखीपुल प्याऊ के पास, वार्ड क्रमांक 41 के लिये 21 से 22 फरवरी तक बजाजखाना गणेश देवरी, वार्ड क्रमांक 33, 34 व 35 के लिये 23 व 24 फरवरी को शास्त्री नगर सेंट्रल बैंक के पास, वार्ड क्रमांक 33 व 34 के लिये 25, 26 व 28 फरवरी को दो बत्ती चौराहा, वार्ड क्रमांक 30, 31, 32 व 34 के लिये 1 से 3 मार्च तक स्टेशन रोड दिलबहार चौराहे पर कार्यालयीन समय में शिविर आयोजित किये गये हैं।

निगम द्वारा जारी अपील में नागरिकों से अनुरोध किया गया है कि निगम द्वारा उक्त शिविर बकायादारों की सुविधा के लिए आयोजित किये गये हैं इन आयोजित शिविरों में बकायादार अपनी बकाया राशि जमा कर निगम को सहयोग प्रदान करें।

## **11 फरवरी को 2.41 मिट्रिक टन कचरा जुलवानिया पंहूचा**

रत्नाम 11 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़कों व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेविंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा है जिसके तहत 11 फरवरी शुक्रवार को 2.41 मिट्रिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया ।

11 फरवरी शुक्रवार को डम्पर से 27245, ट्रेक्टर से 27320, काम्पेक्टर सूखा कचरा 16895, काम्पेक्टर गीला कचरा 16350, डम्पर नाला मलबा 150205, मैजिक सूखा 1780 व मैजिक गीला 1610 किलो इस तरह कुल 241405 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया ।

### **बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)**

#### **28 फरवरी तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट**

रत्नाम 11 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रत्नाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा । इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है ।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है । इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 28 फरवरी तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है ।

रत्नाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है । नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये हैं ।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 28 फरवरी के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरुद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें ।

### **3094 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 109 हितग्राही हुए लाभान्वित पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें**

रत्नाम 11 फरवरी । नगरीय क्षेत्र रत्नाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होंने प्रथम कार्यशील

पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 2898 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/- तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 196 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/- ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 105 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 4 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाइल नम्बर साथ लाना होगा।

## **अनुमति के बिना मुख्य सड़कों के किनारे निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर नगर निगम करेगा तोड़ने की कार्यवाही 15 हजार रुपये प्रति घंटे के मान से तोड़ने की राशि होगी वसूल**

रत्नाम 11 फरवरी । शहर की मुख्य सड़के सैलाना रोड, सागोद रोड, महू रोड, स्टेशन रोड सहित अन्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति के निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर उन्हे तोड़ने की कार्यवाही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार गठित दलों के द्वारा प्रारंभ की जा रही है साथ ही संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया नगर निगम के गठित दलों को निर्देशित किया है शहर की मुख्य सड़कों के किनारे नगर निगम की बिना अनुमति निर्माण प्रारंभ पाये जाने पर तोड़ने की कार्यवाही प्रतिदिन की जाये व संबंधितों से 15 हजार रुपये प्रति घन्टे के मान से तोड़ने की राशि वसूल की जाये।

नगर निगम द्वारा बिना अनुमति के निर्माण तोड़ने की कायवाही की जा रही है नागरिकों से अपील है कि वे अनुमति के बिना निर्माण कार्य ना करें।

## **नागरिक व दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन करें**

रत्नाम 11 फरवरी । कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रत्नाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार रत्नाम जिले में कोरोना संक्रमण को नियंत्रण करने हेतु कोविड अनुकूल व्यवहार अनिवार्य किया गया है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने नागरिकों, दुकानदारों, व्यावसायिक प्रतिष्ठान मालिकों से अपील की है कि सही तरीके से मास्क लगायें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य रूप से करें। दूकानों एवं सार्वजनिक स्थानों में 6 नागरिकों से अधिक लोग एकत्रित नहीं हों। नियमों का पालन अनिवार्य रूप से कर कानूनी कार्यवाही से बचें।

**गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 11 फरवरी । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक—पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होंने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक—पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनों पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

**वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही**

रतलाम 11 फरवरी । स्वच्छ सर्वेक्षण—2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर—1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले—नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले—नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ—सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्ड में साफ—सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार / ज.सं.वि. / हेमन्त / 11.02.2022 / न.पा.निगम, रतलाम.